

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0- 94/794- पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाण के राज्यपाल इसके द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांव वाजीरपुर, तहसील और जिला गुड़गांव के आस पास के क्षत्रा को नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शों में दर्शाए गए अनुसार उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

राजकीय प्राईमरी विद्यालय गांव वाजीरपुर, तहसील और जिला गुड़गांव के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूची की ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 419/93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर : बिन्दु 'क' से लेकर अर्थात धनवास की आयत संख्या 24 का उत्तर-पश्चिमी कोना जैसा कि ड्राईंग में दर्शाया गया है, उसके बाद पूर्व की ओर गांव धनवास की आयत संख्या 24 की उत्तरी सीमा के साथ-2 इसके बाद गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 43 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उस बिन्दु तक जहां यह गांव हमीरपुर की दक्षिणी सीमा से मिलती है, उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर गांव हमीरपुर की दक्षिणी सीमा के साथ-2 बिन्दु 'ख' तक जहां यह गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 23 की उत्तरी सीमा सं मिलती है। इसके बाद पूर्व की ओर गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 23 और 22 की उत्तरी सीमा के साथ-2, इसके बाद उत्तर की ओर उक्त गांव की आयत संख्या 14 की पश्चिमी सीमा के साथ-2, फिर पूर्व की ओर गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 14 की उत्तरी सीमा के साथ-2 उसके बाद उत्तर की ओर गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 8 और 6 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 बिन्दु 'ग' तक, जहां यह 16 जून, 1981 को प्रकाशित हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या 10 डी0पी0-81/8039, दिनांक 21 मई, 1981 द्वारा पहले ही घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा से मिलती है। इसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर उक्त नियन्त्रित क्षेत्र के साथ-2 बिन्दु 'घ' तक, जहां यह गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 18 की पूर्वी सीमा से मिलती है।

पूर्व: इसके बाद दक्षिण की ओर गांव वाजीरपुर आयत संख्या 18 और 30 की पूर्वी सीमा के साथ-2 इसके बाद पश्चिमी की ओर उक्त गांव की आयत संख्या 30 की दक्षिणी सीमा के साथ-2, इसके बाद दक्षिण की ओर गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 37,50,56,69 और 73 की पूर्वी सीमा के साथ-2 इसके पश्चात पश्चिम की ओर गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 73 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 इसके बाद दक्षिण की ओर गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 81 और 89 तथा गांव मेओका की आयत संख्या 3 की पूर्वी सीमा के साथ-2 बिन्दु 'ड.' तक जो गांव मेओका की आयत संख्या 3 का दक्षिणी पूर्वी कोना है।

दक्षिण: इसके बाद पश्चिम की ओर गांव मेओका की आयत संख्या 3 और 2 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 गांव वाजीरपुर की आयत संख्या 91 की दक्षिणी सीमा के साथ-2, तथा गांव मेओका की आयत संख्या 1 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 का 1 इसके बाद उत्तर की ओर गांव धोरका की आयत संख्या 26 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 इसके बाद पश्चिम की ओर गांव धोरकी की आयत संख्या 14,15 और 16 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 बिन्दु 'च' तक जो गांव सके बाद गांव हमीरपुर की दक्षिणी सीमा के साथ-2 उत्तर पश्चिम की ओर बिन्दु 'च' तक, जहां यह गांव धोरका की आयत संख्या 16 का दक्षिण-पश्चिमी कोना है।

पश्चिम: इसके बाद उत्तर की ओर गांव धोरका की आयत संख्या 16,9,5 और गांव धनवास की आयत संख्या 25 और 24 की पश्चिमी सीमा के साथ बिन्दु 'क' तक अर्थात आरम्भ के बिन्दु तक।

प्रदीप कुमार,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

134

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/794- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (I) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the area around Government Primary School at village Wazirpur, tehsil and district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of controlled area around Government Primary School at village Wazirpur, tehsil and district Gurgaon to be read with the Drg No DTP(G) 419/93, dated 25th May 1993.

North: Starting from point 'A' i.e. north western corner of Rect No-24 of village Dhanawas as shown on the drawing thence towards east along the northern boundary of Rect No.24 of village Dhanawas; thence along western boundary of Rect No.43 of village Wazirpur upto the point where it meets with the southern boundary of village Hamirpur, thence towards south -east along southern boundary of village Harmirpur upto point 'B' where it meets with the northern bboundary of Rect. No.23 of village Wazirpur. Thence towards east along the northern boundary of Rect No 23 & 22 of village Wazirpur ,thence towards north along the western boundary of Rect No.14 of said village; thence towards east along the western boundary of Rect No. 8 & 6 of Village Wazirpur upto point 'C' where it meets with the boundary of controlled area already declared,-vide Haryana Govt. Gazette Notification No-10-DP -81/8039, dated 21st May, 1981 published on 16th June, 1981. Thence towards south-east along the said controlled area boundary upto point 'D' where it meets with the eastern boundary of Rect No.18 of Village Wazirpur.

East : Thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 18 and 30, of village Wazirpur as towards west along the southern boundary of Rect No 30 of said village, thence towars south eastern boundary of Rect No-37,50,56,69 and 73 of village Wazirpur. Thence towards west along the southern boundary of Rect No.73 of Village Wazirpur, thence towards south along the eastern boundary Rect. No.81 and 89 of Village Wazirpur and Rect No.3 of village Meoka upto point 'E' which is the south-east corner of Rect No.3 of village Meoka.

South: Thence towards west along the southern boundary Rect No.3 and 2 of village Meoka and along southern boundary of Rect No.91 of Village Wazirpur, and along southern boundary of Rect No.1 of Village Meoka. Thence towards north along the western boundary of Rect No.26 of village Dhorka, thence towards west along the southern boundary of Rect No.14,15, and 16 of Village Dhorka upto point 'F' which is the south-west corner of Rect No.16 of Village Dhorka.

West: Thence towards north along the western boundary of Rect No-16,9,5 of Village Dhorka and Rect No 25 and 24 of Village Dhanawas upto point 'A' i.e the point of start 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.